प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 25.09.23

थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध रूप से पटाखे बनाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध विस्फोटक पदार्थ / पटाखे बनाने की सामग्री बरामद

दिनांक 24.09.2023 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान नई बस्ती जमालपुरा चौकी क्षेत्र अशोक बिहार में अवैध रूप से पटाखे बनाने वाला 01 अभियुक्त अरशद पुत्र इलियास निवासी गली नं0 1 म0नं0 168 राशिद अली गेट के पास नई बस्ती जमालपुरा थाना लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से अवैध विस्फोटक पदार्थ व पटाखे बनाने की सामग्री बरामद। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह अवैध रुप से पटाखे बनाकर अच्छा मुनाफा कमाता है तथा अब आगामी दीपावली त्यौहार आदि पर इस्तेमाल होने वाले पटाखे बना रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

अरशद पुत्र इलियास निवासी गली नं0 1 म0नं0 168 राशिद अली गेट के पास नई बस्ती जमालपुरा थाना लोनी गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरणः-

1. सफेद कोटन पाऊडर (कुल वजन 31 किलो 860 ग्राम)
2. TI पाउडर (कुल वजन 8 किलो 980 ग्राम),
3. लाल मिट्टी (12 किलो 500 ग्राम)
4. स्काई शॉट बनाने वाले गत्ते की नली (कुल 510)

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित 01 बाल अपचारी के कब्जे से चोरी का सामान 01 प्लाट के कागजात, 02 भारतीय पासपोर्ट, 04 पाजेब सफेद धातु तथा 01 चैन सफेद धातु बरामद

दिनांक 13.07.2023 को थाना वेवसिटी पर वादी श्री मौहम्मद आरिफ पुत्र फकीरा नि0 वार्ड- 15 डासना मौहल्ला जलालखानी थाना वेवसिटी गाजियाबाद ने खुद के नाबालिग भांजे द्वारा घर से

सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया था। आज दिनांक 25.09.23 को थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा उक्त बाल अपचारी को रोका गया तो बाल अपचारी के पास से वादी के घर से चोरी किया गया चोरी का सामान 01 प्लाट के कागजात, 02 भारतीय पासपोर्ट, 04 पाजेब सफेद धातु तथा 01 गले की चैन सफेद धातु बरामद बरामद हुआ। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- 01 इकरारनामा,
- 02 भारतीय पासपोर्ट,
- 04 पाजेब सफेद धातु,
- 01 गले की चैन लाकेट सहित सफेद धातु,

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा 10 हजार रुपये का ईनामी अपराधी व थाना लोनी बोर्डर से धोखाधडी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 25.09.2023 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान लोनी बोर्डर से धोखाधडी के अभियोग में वांछित व कमिश्नरेट गाजियाबाद का 10 हजार रुपये का ईनामी अपराधी संजय कुमार पुत्र बिशम्भर निवासी डी 73 इन्द्रापुरी थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद मूल पता थाना बहेटा जिला सहारनपुर उम्र 42 को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त को भारतीय स्टेट बैंक के लिए लिंक शाखा लोनी (2408) मे सर्विस प्वाइंट (सीएसपी) संचालित करने के लिए अनुंबध पर नियुक्त किया था। अभियुक्त द्वारा अनुबंध होते हुए षडयन्त्र कर करीब 10 लाख रुपये का गबन किया गया है, जिसके सम्बन्ध मे थाना लोनी बोर्डर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी के लिये कमिश्नरेट गाजियाबाद से दिनांक 09.08.23 को 10 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त</u>

संजय कुमार पुत्र बिशम्भर निवासी डी 73 इन्द्रापुरी थाना लोनी बोर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल पता थाना बहेटा जिला सहारनपुर उम्र 42 वर्ष।

<u>आपराधिक इतिहास</u>

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बोर्डर पर धोखाधडी का 01 अभियोग पंजीकृत है,

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

थाना क्रोसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा 03 शातिर लुटेरे गिरफ्तार , कब्जे से 03 चैन पीली धातु , 01 मोबाइल , 01 चोरी की मोटर साईकिल , तथा 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 22.09.2023 को वादिया ने थाना विजयनगर गाजियाबाद पर सूचना दी कि मैं अपनी स्कूटी पर अपने घर जा रही थी तभी सर्राफा मार्किट के पास दो लड़के नीली मो0सा0 पर मेरे बराबर से निकले और मेरे गले में पहनी चैन को लूटकर भाग गये। वादिया की सूचना पर तत्काल थाना विजयनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरणः-

घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया । सभी टीमों द्वारा अथक प्रयास कर घटना स्थल के आस पास के सी0सी0टी0वी0 फुटेज , मोबाइल सर्विलांस तथा मैनुअल इन्टेलिजेन्स एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर आज दिनांक 25.09.2023 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा सिद्धार्थ बिहार हिण्डन बैराज के पास चैकिंग के दौरान दो मोटर साईकिल सवार संदिग्ध व्यक्तियों को रूकने हेतु कहा लेकिन पकड़े जाने के डर से मोटर साईकल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से असलाह से फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वार आत्मरक्षार्थ बदमाश पर सरकारी असलाहों से फायर किये गये जिसमें एक अभियुक्त के बायें पैर में गोली लग जाने से दोनो व्यक्ति मोटर साईकिल सहित मौके पर गिर गये तथा मोटर साईकिल चलाने वाला व्यक्ति भागने लगा जिसे भी मौके पर पकड़ लिया तथा घायल अभियुक्त सलमान उर्फ शोएब के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व एक चैन पीली धातु व 15000- रूपये तथा दूसरे अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल चोरी की, 01 चैन पीली धातु व 01 फोन , एवं 6000/- रूपये मौके से बरामद। पकड़े गये दोनो अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि हमारा एक साथी शहजाद जिसे हम माल बेचते हैं वह इस समय विशाल सोसाईटी सिद्धार्थविहार में रहता है। घायल अभियुक्त सलमान उर्फ शोएब को पुलिस द्वारा उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल फ्लोरेस हॉस्पिटल प्रताप विहार में भेजा गया व अभियुक्त शोएब की निशादेही पर अभियुक्त शहजाद को विशाल सोसाईट सिद्धार्थविहार से गिरफ्तार किया गया व कब्जे से 01 चैन पीली धातु की व 10000/- रूपये बरामद किये गये। अभियुक्तगणों के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि साहब हम लोग चोरी की मोटर साईकिल से स्कूटी , पैदल जा रही महिला , बुजुर्ज व्यक्ति के गले , कान से सोने की चैन , झुमकी आदि सामान को लूटकर भाग जाते हैं तथा लूटे गये माल को हम शहजाद को बेच देते हैं तथा जो पैसा मिलता है उससे हम अपने शौक पूरे करते है। आज भी हम वारदात करने की फिराक में घूम रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये जो भी सामान हमसे बरामद हुआ है वह सामान हमने कुछ दिन पहले ही अलग अलग घटना करके लूटा था।

नाम पता अभियुक्त

1. सलमान उर्फ शोएब पुत्र अयूब निवासी ग्राम खेड़ा पिलखुआ जिला हापुड़ हाल पता गली 09 मोहनपुरी थाना भजनपुरा दिल्ली उम्र 26 वर्ष।
2. मौ0 शोएब पुत्र मौ0 यूनुस निवासी सी – 175 गली नं0 03 नार्थ घोड़ा दिल्ली हाल पता संजय कालोनी अर्थला राधा कृष्ण मन्दिर के पास जावेद खां का घर थाना साहिबाबाद उम्र 27 वर्ष।
3. शहजाबद पुत्र अब्दुल रशीद निवासी 61 बी रशीद मार्किट भगत सिंह रोड़ थाना जगतपुरी दिल्ली उम्र 31 वर्ष

बरामदगी का विवरण

1. **अभियुक्त सलमान उपरोक्त से** – 01 चैन पीली धातु , 01 तमंचा व 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस तथा 15000/- रूपये।
2. **अभियुक्त शोएब उपरोक्त से** - 01 चैन पीली धातु , 01 फोन रेडमी रंग काला , 01 मोटर साईकिल (FZ UP 16BW 4048) तथा 6000/- रूपये।
3. **अभियुक्त शहजाद उपरोक्त से** – 01 चैन पीली धातु , व 10000/- रूपये।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1. **अभियुक्त सलमान उर्फ शोएब उपरोक्त** के विरूद्ध दिल्ली में 24 अभियोग लूट/चोरी से सम्बन्धित तथा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में 07 अभियोग लूट/चोरी के तथा 01 अभियोग गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित तथा कमिश्नरेट गाजियाबाद में 15 अभियोग लूट/चोरी से सम्बन्धित व 01 अभियुक्त आयुध अधिनियम से सम्बन्धित कुल 48 अभियोग पंजीकृत हैं।
2. **अभियुक्त मौ0 शोएब उपरोक्त** के विरूद्ध दिल्ली में 08 अभियोग लूट/चोरी से सम्बन्धित तथा गाजियाबाद कमिश्नरेट में 14 अभियुक्त लूट/चोरी से सम्बन्धित कुल 22 अभियोग पंजीकृत है।
3. **अभियुक्त शहजाबद उपरोक्त** के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद में 03 अभियोग चोरी/लूट का माल खरीदने से सम्बन्धित कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम